



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 5783/2008

याचिकाकर्ता:

कुलवंत सिंह, आयु-50 वर्ष, पिता श्री जोगा सिंह, व्यवसाय - ट्रांसपोर्टर, निवासी बस-स्टैंड महासमुंद, तहसील महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादी:

राजेंद्र कुमार साहू, पिता श्री सुखलाल साहू, आयु-40 वर्ष, व्यवसाय - व्यवसायी, निवासी रायपुर नाका के पास, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थिति :

श्री जे.ए. लोहानी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

-- मौखिक आदेश --

(आज दिनांक 17.10.2008 को पारित किया गया)



याचिकाकर्ता ने इस याचिका द्वारा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, महासमुंद द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 25-A/2008 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 19.09.2008 (अनुलग्नक पी/1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता/प्रतिवादी द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, "सी.पी.सी.") के आदेश 26 नियम 9 के अधीन वाद भूमि के संबंध में स्थल निरीक्षण करने हेतु एक कमीशन निकालने के लिए प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29.08.2008 (अनुलग्नक पी/4) को खारिज कर दिया गया था।

2) संक्षेप में निर्विवाद तथ्य, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं,

यह हैं कि दिनांक 15.01.2008 को उत्तरवादी/वादी ने

याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के विरुद्ध द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,

महासमुंद के समक्ष एक व्यवहार वाद क्रमांक 25-A/2008 प्रस्तुत किया

जिसमें जिला महासमुंद के अंतर्गत पटवारी हल्का महासमुंद की

अनुसूची-'A' के तहत वर्णित कुल भूमि खसरा क्रमांक 292/3 रकबा

0.009 हेक्टेयर की घोषणा और आधिपत्य की डिक्री प्रदान करने का

अनुतोष चाहा गया था। याचिका में यह अभिकथन किया गया था कि

वाद भूमि पर वादी का पूर्ण आधिपत्य है और प्रतिवादी एक अतिचारी है,





जिसने दुकान निर्माण के लिए भूमि पर अतिचार किया था, प्रतिवादी की इस कार्यवाही के विरुद्ध वादी ने व्यवहार वाद प्रस्तुत किया था।

- 3) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री लोहानी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ के **हीरालाल विरुद्ध ठाकुर दास¹** के प्रकरण में दिए गए विनिश्चय का अवलंब लिया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भूमि के अतिक्रमण के मामले में, जहाँ पक्षकारण यह तय करने में असमर्थ हैं कि वास्तविक भूमि के विरुद्ध पक्षकारों के आधिपत्य में कितनी भूमि है, तो ऐसे मामलों में, स्थल निरीक्षण करने के लिए एक कमीशन नियुक्त करना आवश्यक है।

- 4) सी.पी.सी. के आदेश 26 नियम 9 के तहत स्थानीय अन्वेषण का उद्देश्य विवाद के किसी भी मामले को स्पष्ट करना है, साक्ष्य एकत्र करना नहीं। पहली और प्रमुख आवश्यकता किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और साक्षियों का परीक्षण करना है और उसके बाद न्यायालय, मामले की तथ्यात्मक स्थिति में, विवाद के किसी भी मामले या संपत्ति के बाजार मूल्य या अंतःकालीन लाभ की राशि को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए स्थानीय अन्वेषण हेतु कमीशन नियुक्त कर सकता है।

¹ 2003 (3) MPHT 347



5) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बाली राम विरुद्ध मेला राम एवं अन्य²

के प्रकरण में इसी प्रकार का अभिमत निम्नानुसार लिया है:

"13. व्यवहार प्रक्रिया संहिता (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) के आदेश 26 का नियम 9, न्यायालय को स्थानीय अन्वेषण करने के लिए कमीशन जारी करने का अधिकार देता है जो विवाद के किसी भी मामले को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो सकता है। यद्यपि स्थानीय अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना नहीं है जो न्यायालय में लिया जा सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य ऐसा साक्ष्य प्राप्त करना है, जो अपनी विशिष्ट प्रकृति के कारण, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर संदेहास्पद छोड़े गए किसी भी बिंदु को स्पष्ट करने की दृष्टि से केवल स्थल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। संहिता के आदेश 26 के नियम 9 के तहत कमीशन जारी करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि पक्षकारों में से एक या दोनों को स्वप्रेरणा से कमीशन जारी करने के लिए आवेदन करना चाहिए, यदि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह आवश्यक समझा जाता है कि स्थानीय अन्वेषण अपेक्षित है और विवाद के किसी भी मामले को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए उचित है। यद्यपि इन शक्तियों का प्रयोग न्यायालय के विवेक पर निर्भर है, लेकिन यदि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में स्थानीय अन्वेषण अपेक्षित और उचित है, तो इसका प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि मामले में अंतिम और न्यायसंगत निर्णय दिया जा सके"।

6) सिक्किम उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने तुलमाया छेत्री एवं अन्य

विरुद्ध योनारायण प्रधान एवं अन्य³ के प्रकरण में निम्नानुसार निर्धारित

किया है:

² ए.आई.आर. 2003 हिमाचल प्रदेश 87

³ ए.आई.आर. 2004 सिक्किम 39



"4. आदेश 26, नियम 9 सी.पी.सी. न्यायालय को एक कमिश्नर नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है यदि वह विवाद के किसी मामले को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए या उसमें उल्लिखित अन्य कारणों से स्थानीय अन्वेषण को अपेक्षित या उचित समझता है। इस प्रकार मामला न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है। हालाँकि विवेक एक न्यायिक विवेक है न कि शक्ति का मनमाना प्रयोग। ऐसी नियुक्ति का उद्देश्य स्वयं स्थल से साक्ष्य प्राप्त करना है जो न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ठीक से समझने और उसका मूल्यांकन करने में मदद करता है। कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन साक्ष्य का एक हिस्सा है जिस पर अभिलेख पर मौजूद अन्य साक्ष्यों के साथ विचार किया जाना चाहिए। महेंद्रनाथ परिदा विरुद्ध पूर्णानंद परिदा, ए.आई.आर. 1988 उड़ीसा 248 के प्रकरण में, न्यायमूर्ति आर.सी. पटनायक (तत्कालीन) ने संक्षेप में निम्नानुसार निर्धारित किया था(कंडिका 4) :-

"निस्संदेह, उपबंध न्यायालय को विवेक प्रदान करता है। लेकिन विवेक जैसा कि सर्वविदित है, का प्रयोग विवेकपूर्ण और सुदृढ़ रीती से किया जाना चाहिए न कि सनकपूर्ण और मनमाने तरीके से। उपबंध में जिस बिंदु पर ध्यान देना आवश्यक है, वह अभिव्यक्ति है 'विवाद में के किसी विषय के विशदीकरण के लिए स्थानीय अन्वेषण करना, अपेक्षणीय या उचित समझता है.....' इसलिए, जहाँ न्यायालय स्थानीय अन्वेषण को अपेक्षित और उचित समझता है, सामान्यतः उसे अधिकारिता के प्रयोग से इनकार नहीं करना चाहिए। यदि आवेदन विलंबित चरण में किया गया है, या यदि आवेदन दुर्भावनापूर्ण है या इनकार करने को उचित ठहराने वाली परिस्थितियों में है, तो वह अधिकारिता से इनकार कर सकता है। एक पक्षकार के पास अपने द्वारा निजी तौर पर कराई गई पहचान या माप के बाद सर्वेक्षण जानने वाले व्यक्ति का परीक्षण करने का विकल्प और अधिकार है। ऐसे साक्षी का परीक्षण करने के लिए, वह किसी विशेषाधिकार या अनुग्रह की मांग नहीं करता है।" (बल दिया गया)





सामान्यतः हम अमीन कमिश्नर नियुक्त करने वाले आदेश में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन वर्तमान मामले में पक्षकारों ने अपना साक्ष्य समाप्त कर दिया है और जब मामला बहस के चरण में था तब प्रत्यर्थियों ने कमिश्नर की नियुक्ति के लिए निवेदन किया। इस स्वीकृत तथ्य के आलोक में कि पक्षकारों ने पहले ही अपना साक्ष्य समाप्त दिया है, इस विलंबित चरण में अमीन कमिश्नर की नियुक्ति की प्रार्थना को स्वीकार करना प्रत्यर्थियों को अपने साक्ष्य की कमियों को भरने की अनुमति देने के समान होगा जिससे एक निरर्थक जांच होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने सतीश अग्रवाल बनाम तीरथ सिंह, 1996 AIHC 1761 के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि जब मामला बहस के लिए लंबित हो, तो प्रतिवादियों द्वारा स्थानीय अन्वेषण के लिए की गई प्रार्थना, यदि स्वीकार की जाती है, तो उनके साक्ष्य की कमियों को भरने के समान होगी और ऐसी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।"

7) पूर्वोक्त के आलोक में, अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर कमीशन की नियुक्ति के आवेदन को खारिज करके अपने विवेक का प्रयोग याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं किया है कि विवाद का परीक्षण पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्षियों के आधार पर नहीं किया गया है। अतः, उस चरण में कमीशन की नियुक्ति से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता उचित चरण में कमीशन की नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है क्योंकि कमीशन की नियुक्ति के लिए दूसरा आवेदन करने पर कोई रोक नहीं है।



- 8) मेरा यह सुदृढ अभिमत है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ इस चरण में कमीशन नियुक्त किया जाना चाहिए था। आक्षेपित आदेश में कोई विधिक त्रुटि, अवैधता या अधिकारिता संबंधी त्रुटि नहीं पाई गई है।
- 9) अतः, यह न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अपनी पर्यवेक्षी अधिकारिता के प्रयोग में, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप तब तक नहीं करेगी, जब तक कि उन मामलों में जहाँ विकृति, अवैधता, अनियमितता या अधिकारिता संबंधी त्रुटि अभिलेख पर प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट न हो, जो वर्तमान मामले में नहीं है।
- 9) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2008 (अनुलग्नक पी/1) न्यायसंगत और उचित है और इस न्यायालय की पर्यवेक्षी अधिकारिता के प्रयोग में इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
- 10) पूर्वोक्त के आलोक में, याचिका संक्षिप्ततः खारिज की जाती है।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक



प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

